न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी: नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 110 / 2018

वादी – पुखाराम उर्फ शान्तिपुरी पुत्र प्रेमला चेला हरीपुरी महाराज उम्र 37 वर्ष कवलामठ जालोर हाल– कालका माता मन्दिर देवगढ आगोलाई जोधपुर मो. 7023407053

बनाम

प्रतिवादीगण–
1.बाबुराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी गंगावास
2.बाबुसिंह पुत्र लिखमसिंह जाति राजपुरोहित नि. सिमरखिया
3.ओमाराम पुत्र जेसाराम जाति माली निवासी बागावास
4.गीता पुत्री प्रेमला जाति राईका निवासी बागावास तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
5.राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक:- 29.08.2022

उपस्थिति– अचलाराम थोरी वादी की ओर से

वादी ने न्यायालय मे वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि राजस्व गांव बागावास पटवार हल्का बागावास मे कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 566 रकबा 38 बीघा 08 विस्वा किस्म बारानी सोयम वादी के हकपूर्वाधिकारी प्रेमला के कब्जा काश्त खातेदारी कि अवस्थित रही, तदोपरान्त प्रेमला की मृत्यु होने पर प्रेमला के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी तथा वादी के भाई अनोपाराम, वादी की बहन गीता व गुट्टी के नाम रेकर्ड मे जरीये फौतगी म्युटेशन से दर्ज हुई, तदोपरान्त वादी की सगी बहन गुट्टी का छोटी आयु में ही अविवाहित रहते मृत्यु हो गई, लेकिन गुट्टी की मृत्यु हो जाने के पश्चात भी राजस्व रेकर्ड में मृतक गुट्टी का नाम बतौर खातेदार दर्ज रहा। मूल खसरा संख्या 566 रकबा 38 बीघा 08 विस्वा भूमि में वादी का नाम जरीये फौतगी म्युटेशन दर्ज होने के बाद वादी ने संसारिक जीवन त्याग कर सन्यास लेकर मठाधीश हो गया, उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम बतौर खातेदार रेकर्ड में निरन्तर रूप से चलता रहा, वादी ने उक्त सालिम कृषि भूमि का कभी कोई बंटवाड़ा तकासमा आपसी सहमति से या विधिक प्रकिया के तहत नही करवाया। वादी की उक्त सहखातेदारी की भूमि को हड़प करने की बदनियति से वर्तमान प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक गिरोह बनाया और मूल सालिम कृषि भूमि को तीन भागों में विभक्त किया, जिसके खसरा संख्या 566 रकबा 19 बीघा 08 विस्वा, व खसरा संख्या 988 / 566 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 989 / 566 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा बनाये और खसरा संख्या 566 रकबा 19 बीघा 08 विस्वा में वादी का हिस्सा 192 / 388 तथा अनोपाराम का हिस्सा 192 / 388 एवं शेष हिस्सा गीता, गुट्टी के नाम 4 / 388 दर्ज किया गया, खसरा संख्या 988 / 566 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा में कथित हिरालाल पुत्र अमराराम सुथार तथा खसरा संख्या 989 / 566 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा लालाराम पुत्र अमराराम सुथार के नाम दर्ज करवाकर वादी का नाम अलग कर दिया। ऐसे तथ्यों की जानकारी वादी को नहीं होने दी। वादी ने वर्ष सन् 2002 में सांसारिक जीवन त्यागकर मठाधीश का रूप धारण कर दिया, इस कारण वादी की मृतक बहिन गुट्टी के नाम से चल रही सहखातेदारी की भूमि के भाग को अवैध व अनुचित तरीके से तथा छल कपट व साश्य बईमानी की बदनियति से वादी की मृतक बहिन गुट्टी के हिस्से को हड़प करने हेतु वर्तमान प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व अन्य व्यक्तियों ने एकराय होकर वादी व वादी की मृतक बहिन गुट्टी को साश्य नुकसान कारित करने की नियत से फर्जी व कुटरचित मुल्यवान प्रतिभूतियां यानि बेचाननामा में कुटरचना के माध्यम से वादी की मृतक बहिन गुट्टी के नाम का अन्य किसी को खड़ा करके तैयार कर बेचाननामा संख्या 489 / 06.03.2009 दस्तावेज संख्या 490 / दिनांक 06.03.2009 [illegible] लालाराम के नाम से तैयार करवाये, इसी फर्जीवाड़े की कड़ी में वादी के सहखातेदा[illegible] भाग को भी हड़प करने की नियत से वादी के स्थान पर अन्य व्यक्ति [illegible] के अन्य सदस्यों ने खड़ा कर बेचाननामा संख्या 1852 / 2[illegible] करवाया, जिसकी कोई जानकारी वादी को नही होने दी, यहा [illegible] कि वादी को मेरे जैसला की उक्त सम्पति के भाग का कभी भी बेचान बक्शीस, रहन ट्रांसफर वि[illegible] भी व्यक्ति को वादी द्वारा नहीं किया और न ही वादी द्वारा ऐसा करने हेतु किसी को अधिकृत किया गया। क्योंकि गुट्टी की मृत्यु वर्ष 2009 से वर्षों पहले हो चुकी थी, जो वर्ष 2009 में जीवित नहीं थी। तदोपरान्त वादी को जब सहकुल्क मेरे के भाग लेने हेतु अखाड़ा से जाकर नामान्तकरण करवाना चाहा, जिस पर अखाड़ा के द्वारा वादी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:31 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] करने के लिए

[illegible] पहचान पत्र आधार कार्ड चाहा गया, जो वादी के पास उपलब्ध नहीं था, वादी को [illegible] कार्ड के माध्यम दस्तावेज की आवश्यकता महसूस होने पर संबंधित हल्का पटवारी राजस्व रेकर्ड की नकल माह मार्च 2016 मे चाही, जिस पर वादी को उक्त तथ्य की प्रथम बार जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण व अन्य व्यक्तियो ने मिलकर कुटरचना के माध्यम से फर्जीवाड़ा कर मुख्तयारनामा प्रतिभूति की कूटरचना की और ऐसे शुन्य दस्तावेज के आधार पर वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या 01के नाम दर्ज करवा दी और [illegible] यह जानते हुए भी उक्त बेचान की कार्यवाही पूर्णतया फर्जी व कुटरचित है, फिर भी प्रतिवादी ने [illegible] उपयोग लिया और आगे प्रतिवादी संख्या 02 को आगे बेचान कर दी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरम्भ से ही शुन्य दस्तावेज विधिक टाइटल धारक के हक मे न तो समाप्त होते है और न ही [illegible] अवैध कृत्य से हको का सर्जन ही होता है, वादी के स्वामित्व की भूमि हडप करने हेतु प्रतिवादी व अन्य के द्वारा किये गये फर्जीवाडे आपराधिक कृत्य के संबंध मे फौजदारी मुकदमा [illegible] 117/2018, [illegible] पचपदरा मे जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई पी सी मे दर्ज करवाया, उक्त प्रकरण मे पुलिस द्वारा बाद जांच प्रतिवादी व अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 30.04.2018 को न्यायालय मे पेश किया, जो श्री न्यायिक पचपदरा के न्यायालय मे विचाराधीन है। विधि मे प्रारम्भतः शुन्य प्रभाव के दस्तावेजात को शुन्य घोषित करवाने की आवश्यकता नही होती है, क्योंकि अवैध हमेशा अवैध स्थिति मान ही रहता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 का कृत्य व उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम किया गया बेचान शुन्य रहा। राजस्व रेकर्ड मे फर्जी व कुटरचित दस्तावेज को आधार बनाकर वादी का नाम हटा दिया और शुन्य फर्जी कुटरचित दस्तावेज को असली के रूप मे उपयोग लेकर प्रतिवादी का नाम रेकर्ड मे दर्ज करवाया व वादी के विधिक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे है, ऐसी स्थिति मे उपरोक्त भूमियों मे फर्जी व कुटरचित प्रारम्भ से शुन्य प्रभाव के अवैध दस्तावेज के आधार पर दर्ज की गई प्रविष्टियों को हटाकर पुनः वादी का नाम दर्ज करवाने तथा उक्त दस्तावेज अकृत्य करार दिलाने हेतु न्यायालय मे वाद दर्ज करवाना आवश्यक हो गया, अतः उपरोक्त अनुतोषों का वाद–पत्र प्रस्तुत है।

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन प्रतिवादी संख्या 1 ता 05 अनुपस्थित [illegible] रजिस्टर्ड डाक से इनके पते पर भिजवाये गये। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्रवाई की गई। तत्पश्चात वादी ने साक्ष्य मे PW-1 स्वयं पेश हुआ व अपने बयान साक्ष्य कलमबद्ध करवाकर दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 01 से प्रदर्श 08 पेश किए और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है, साक्ष्य वादी समाप्त की गई।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि प्रदर्श–04 आरोप पत्र जो पुलिस थाना पचपदरा द्वारा लालाराम, हीरालाल, ओमाराम, बुधाराम, बाबुराम, चुनाराम, चुनाराम पुत्र दीपाराम, [illegible] के विरूद्ध वादी की जगह अनोपाराम का फोटो लगाकर व वादी की बहीन जो जीवित नहीं है को भी जीवित होना बताकर जमीन हडप करने के लिए फर्जी रजिस्टरी करवाने का आरोप धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता का प्रमाणित माना है। जिससे स्पष्ट है कि वादी ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान नहीं किया है। किसी व्यक्ति के विधिक हिस्से को हडप करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने मात्र से उनके विधिक समाप्त नहीं होते, ऐसा दस्तावेज आरम्भ से ही शुन्य प्रभाव का होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादी स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा संख्या मूल 566 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा मे से 09 बीघा 12 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर रेकर्ड दुरस्त किया जावे, फर्जी व कुटरचित बेचाननामा प्रदर्श–03 वादी के हकों के विरूद्ध [illegible] प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाता है, कि उपरोक्त [illegible] संख्या 566 की भूमि वादी के उपयोग, उपभोग मे कोई बाधा दखल हस्तक्षेप न [illegible] डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 29.08.22 को लिखवाया जाकर न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा